मो0 खुरशीद आलम अन्सारी, बि0प्र0से0, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक-19.11.2014 को ग्राम पंचायत सोनवर्षा, प्रखंड शंकरपुर की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी -

आज दिनांक-19.11.2014 को पूर्व निर्धारित समयानुसार अपराह्न 12:30 बजे सोनवर्षा पचायत निरीक्षण हेतु पहुँचा। पूर्व सूचना के पश्चात श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव के द्वारा निरीक्षण की कोई तैयारी नहीं गयी थीं। इस संबंध में श्री बालेश्वर मंडल पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मॉगे।

(अनुपालन : पंचायत सचिव/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर)

(क) परिचय :- सोनवर्षा ग्राम पंचायत प्रखंड मुख्यालय शंकरपुर से 04 किलोमीटर की दूरी पर एवं समाहरणालय मधेपुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस पंचायत के उत्तर में ग्राम पंचायत गिद्धा, दक्षिण में ग्राम पंचायत लालपुर, पूरब में ग्राम पंचायत रायभीर एवं पश्चिम में बेहरारी है।

मुखिया के कार्यकाल का ब्यौरा : वर्त्तमान मुखिया श्रीमति सुनीला देवी वर्ष 2006 से मुखिया हैं।

पंचायत सचिव के पदस्थापन का ब्यौरा : वर्त्तमान में श्री वालेश्वर मंडल अगस्त, 2012 से यहाँ पदस्थापित हैं। इससे पूर्व श्री धीरेन्द्र यादव पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत थे।

(ख) पंजी :

(i) प्राप्त पत्रों की पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(ii) निर्गत पत्रों की पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(iii) अनुक्रमण पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(iV) लंबित पत्रों की पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(v) उपस्थिति पंजी : पंजी नहीं दिखायी गई।

(Vi) निरीक्षण पंजी : पंजी नहीं दिखायी गई।

(vi) ग्राम सभा पंजी : पंजी नहीं दिखायी गई।

(Viii) ग्राम पंचायत (कार्यकारिणी) पंजी : पंजी नहीं दिखाई गई।

(iX) जनशिकायत पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(X) सूचना का अधिकार संबंधी पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(Xi) आवंटन पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(Xii) अंकेक्षण पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(Xiii) भंडार पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(XiV) अभिश्रव पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(XV) परिसम्पत्ति पंजी : पंजी संधारित नहीं।

(Xi) मनरेगा अन्तर्गत संधारित पंजियाँ : पंजी नहीं दिखायी गई।

उपरोक्त जिन पंजियों का संधारण नहीं किया गया है उन पंजियों का संधारण 15 दिनों के अन्दर करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : पंचाचत सचिव/मुखिया, ग्राम पंचायत सोनवर्षा/प्र0वि0पदा0, शंकरपुर)

(ग) योजनाओं की स्थिति :

क्र0	मद का नाम	योजना का वर्ष	कुल ली गई योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	अभ्युक्ति
01	बी0आर0जी0एफ0	2012-13	02	02	0	अभिलेख एवं मापी पुस्त नियमित रूप से संधारित नहीं है।
		2013-14	03	03	0	
		2014-15	0	0	0	
02	चतुर्थ वित्त आयोग	2012-13	03	03	0	
		2013-14	04	04	0	
		2014-15	0	0	0	
03	तेरहवीं वित्त आयोग	2011-12	01	0	01	
		2012-13	02	01	01	
		2013-14	0	0	0	
		2014-15	0	0	0	
योग :-			15	13	02	

<u>(i) बी0आर0जी0एफ0 :</u> पंजी 2012-13 से संधारित। पूर्व की पंजी नहीं दिखाई गयी। इस योजनान्तर्ग वर्ष 2012 से 2014 तक कुल 05 योजनायें ली गयी हैं, जिसमें से 05 योजनायें पूर्ण बतायी गयी है।

<u>(ii) चतुर्थ वित्त आयोग :</u> चतुर्थ वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2012 से 2014 तक कुल 07 योजनायें ली गयी है, जिसमें 07 योजनायें पूर्ण बतायी गयी है।

(iii) तेरहवां वित्त आयोग : तेरहवां वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2010 से 2013 तक कुल 03 योजनायें ली गयी है, जिसमें सभी 01 पूर्ण एव 02 योजनायें अपूर्ण बतायी गयी है।

<u>(iV) सामाजिक सुरक्षा पेंशन पंजी :</u> पंजी संधारित है।

<u>(v) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की पंजी :</u> पंजी संधारित है।

<u>(vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना :</u> पंजी संधारित है।

<u>(vii) कबीर अत्योष्टि योजना :</u> पंजी संधारित है।

<u>(viii) जन्म पंजी :</u> पंजी संधारित है।

<u>(ix) मृत्यु पंजी :</u> पंजी संधारित है।

<u>(x) विवाह निबंधन पंजी :</u> पंजी संधारित है।

<u>(xi) निगरानी समिति :</u> पंजी नहीं दिखायी गई।

<u>(xii) वार्षिक कार्य योजना :</u> पंजी नहीं दिखायी गई।

<u>(xiii) अन्न कलश योजना पंजी :</u> पंजी नहीं दिखायी गई।

जो पंजियाँ संधारित नहीं है उनका संधारण अविलंब सुनिश्चित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

(अनुपालन : पं0 सचिव/ मुखिया, ग्राम पं0 सोनवर्षा/प्र0वि0पदा0, शंकरपुर)

(xiv) रोकड़ एवं सहायक रोकड़ पंजी :

(क) सहायक रोकड़ पंजी : सहायक रोकड़ पंजी मदवार एवं शीर्षवार संधारित है। जिसका संक्षिप्त ब्यौरा मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। रोकड़ पंजी निम्नप्रकार संधरित है।

(i) दिनांक–11.11.2014 को बी0आर0जी0एफ0 योजना की रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 58291.00 रू0 एवं अंतशेष मो0 58291.00 रू0 मात्र है।

(ii) तेरहवॉ वित्त आयोग की रोकड़ पंजी में दिनांक–11.11.2014 को प्रारंभिक शेष मो0 3267055.00 रू0 एवं अंतिम शेष मो0 3267055.00 रू0 है।

(iii) दिनांक–11.11.2014 को चतुर्थ वित्त आयोग के रोकड़ पंजी का प्रारंभिक शेष मो0 875614.00 रू0 एवं अन्त शेष मो0 875614.00 रू0 मात्र है।

(ख) सामान्य रोकड़ पंजी : संधारित नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है कि इस पंचायत में सामान्यरोकड़ पंजी संधारित नहीं है। मुखिया एवं पंचायत सचिव को निदेश दिया गया कि संधरित सहायक रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के आधर पर भली भॉति सत्यापित कराकर (Reconcilitation) मदवार एवं शीर्षवार सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण कर प्रविष्टि अद्यतन करें। 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

(अनुपालन : पं0 सचिव/ मुखिया, ग्राम पं0 सोनवर्षा/प्र0वि0पदा0, शंकरपुर)

(घ) लेखा का संधारण :

(i) प्रिया–सॉफ्ट : वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के माह मई तक बी0आर0जी0एफ0, बारहवीं एवं तेरहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रविष्टि (Data Entry) प्रिया सॉफ्ट में कर दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 का वार्षिक लेखा (Year Book) Closed है।

(ii) प्लान प्लस : वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 तक का बी0आर0जी0एफ0 अन्तर्गत सभी वार्षिक योजनाओं का प्रविष्टि(Data Entry) कर ली गयी है।

(iii) एक्शन सॉफ्ट : वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रविष्टि एक्शन प्लान के Data Portal में परिवर्त्तित (Convert) कर दी गई है।

(च) कार्यालय भवन की स्थिति : इस पंचायत का अपना पंचायत भवन [illegible] है।

(छ) अन्यान्य : योजनाओं का स्थल निरीक्षण :

बी0आर0जी0एफ0

1 .**योजना संख्या–02/2012–13 :** ग्राम पंचायत सोनवर्षा अन्तर्गत 08 युनिट सौर उर्जा (Solar Light) निर्माण– इस योजनान्तर्गत 08 यूनिट सोलर लाईट लगयी गयी है। स्थलीय जॉच के कम में सभी सोलर लाईट खराब पायी गयी तथा सोलर लाईट का क्रय निबंधित एवं सरकार/ विभाग द्वारा प्राधिकृत विक्रेता से नहीं किया गया है वल्कि स्थानीय अप्राधिकृत विक्रेता से क्रय किया गया है। साथ हीं सोलर लाईट अधिष्ठापित करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी/ ग्राम सभा से स्वीकृत नहीं ली गयी है, जो ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लंघन एवं अनियमितताओं का द्योतक है। इस योजना की प्राक्कलित राशि मो0 258400.00(दो लाख अनठावन हजार चार सौ)रू0 है, जिसमें मो0 213400.00(दो लाख तेरह हजार चार सौ)रू0 खर्च अवैध ढ़ंग से किया जा चुका है, जो मुखिया एवं संबंधित पंचायत सचिव से वसूलनीय है।

चतुर्थ वित्त आयोग :

1 .**योजना संख्या–02/2012–13 :** ग्राम पंचायत सोनवर्षा मे विभिन्न वार्डो में 40(चालीस) चापाकल का अधिष्ठापन : इस योजनान्तर्गत सभी चापाकल का अधिष्ठापन सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर निजी स्थलों पर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने हेतु किया गया है। प्राक्कलित राशि मो0 219600.00 (दो

लाख उन्नीस हजार छः सौ)रू0 में से मो0 212615.00 (दो लाख बारह हजार छः सौ पन्द्रह)रू0 खर्च किया गया है, जो मुखिया एवं संबंधित पंचायत सचिव से वसूलनीय है।

2 .योजना संख्या–03/2012–13 : ग्राम पंचायत सोनवर्षा अन्तर्गत 03(तीन) सौर उर्जा लाईट का अधिष्ठापन : इस योजनान्तर्गत 03 यूनिट सोलर लाईट लगया गया है। स्थलीय जॉच के कम में सभी सोलर लाईट खराब पाया गया तथा सोलर लाईट का कय निबंधित विकेता से नहीं किया गया है वल्कि स्थानीय विक्रेता से क्रय किया गया है। साथ हीं सोलर लाईट अधिष्ठापित करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी/ ग्राम सभा से स्वीकृत नहीं कराया गया है जो ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का उल्लंघन किया गया है। इस योजना की प्राक्कलित राशि मो0 969000.00 (छियानवे हजार नौ सौ)रू0 है। जिसमें मो0 969000.00 (छियानवे हजार नौ सौ)रू0 खर्च किया जा चुका है, जो मुखिया एवं संबंधित पंचायत सचिव से वसूलनीय है।

3 .योजना संख्या–01/2013–14 : ग्राम पंचायत सोनवर्षा अन्तर्गत 09(नौ) चापाकल का अधिष्ठापन : इस योजनान्तर्गत सभी चापाकल का अधिष्ठापन सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर निजी स्थल पर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने हेतु किया गया है। जिसका प्राक्कलित राशि मो0 49400.00 (उनचास हजार चार सौ)रू0 में से मो0 47500.00 (सैतालीस हजार पॉच सौ)रू0 खर्च किया गया है। परन्तु सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है, जो मुखिया एवं संबंधित पंचायत सचिव से वसूलनीय है।

निष्कर्ष : ग्राम पंचायत सोनवर्षा के मुखिया द्वारा सौर उर्जा लाईट एवं चापाकल के अधिष्ठापन अनियमितता बरती गयी है तथा अपने संवैधानिक यायित्वों का अनुपालन नहीं किया गया है। मुखिया एवं पंचायत सचिव से क्रमशः 213400.00, 212615.00, 96900.00 एवं 47500.00 रूपये अर्थात कुल 570415.00 रूपये की राशि की वसूली सहित इन दोनों के विरूद्ध अनुशासनिक/ कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है। मुखिया के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत कारणपृच्छा की मांग की जा सकती है।

28/11/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 31-1/पं0, मधेपुरा, दिनांक 28/11/2014 ।

प्रतिलिपि : श्री वालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव /मुखिया, ग्राम पंचायत सोनवर्षा, प्रखंड–शंकरपुर को सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर/ प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदा0, शंकरपुर/कार्यकम पदाधिकारी मनरेगा, शंकरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, मधेपुरा जिला/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को ई–मेल द्वारा सूचित करने तथा मधेपुरा के Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/11/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा।